प्रमोद बनाम शशिकान्त

अपील संख्या : 2022/ 184

02.08.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल ने न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है । रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया । अपील के एडमिशन पर उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 818 की रकबा 1.29 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारान की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि का सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । रेस्पोडेन्ट कम 01 अजनबी क्रेता है । कानूनन अजनबी क्रेता को शामलाती भूमि में विभाजन हुए बिना प्रेवश करने का व कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन हुए बिना किसी भी सहखातेदार को किसी विशिष्ट दिशा के विशिष्ट भू–भाग को बेचान आदि करने एवं विशिष्ट भू–भाग पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करने, निर्माण करने का अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय के यहॉ वाद व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किये । परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये । दिनांक 11.05.2022 को रेस्पोडेन्ट कम 01 को नोटिस तामील हो जाने के बाद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 01 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13.05.2022 को अपीलान्ट के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2022 को उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को बिना किसी विधिक कारण के गलत व गैर कानूनी रूप से वेकेट कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित्त आदेश दिनांक 13.06.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट कम 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम कैथून की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 818 रकबा 1.29 हैक्टर के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग हिस्से पर अवैधानिक निर्माण, बेचान नहीं करें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 497, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 662, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 531, आरआरटी 2020 (2) पेज 1081, डीएनजे 2017 (1) पेज 330 उद्वरत की एवं कुछ फोटोग्राफ्स पेश किये ।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में 12 व्यक्ति संयुक्त खातेदार हैं जिसमें अपीलान्ट का मात्र 1/13 हिस्सा निहित है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92 क के अन्तर्गत वाद पेश किया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने वादग्रस्त आराजी को 15 वर्ष पूर्व कय की है तब से रेस्पोडेन्ट कम 01 रिकॉर्डेड खातेदार है । दिनांक 15.06.2011 को प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2022 प्रस्तुत की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि पर प्लानिंग हो रही है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने फर्द के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि दावा आदेशिका न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा दिनांक 06.05.2022 से दिनांक 08.08.2022 तक, न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं फोटो प्रति तहसीलदार लाडपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2022 तथा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 पेश की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 818 की रकबा 1.29 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण के अलावा अन्य खातेदारों के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया है जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13.05.022 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । तत्पश्चात् अप्रार्थी कम 01 की ओर से वकालतनामा पेश होने पर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का वेकेट किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर प्रदान किया गया है । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार लाडपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2022 में स्पष्ट अंकित किया है कि मौके पर दोनों सहखातेदारों के हिस्से अनुसार भूमि पूर्ण है तथा अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट एक अजनबी केता है । अतः वह भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता । परन्तु विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त भूमि लगभग 15 वर्ष पूर्व कय की तथा तब से कब्जे काश्त में हूँ । अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । तहसीलदार रिपोर्ट में भी रेस्पोडेन्ट के कब्जे को दर्शाया गया है । अतः विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का अजनबी केता का कथन व न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से खातेदार हैं । विवादित भूमि के अकृषि उपयोग के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से यह सिद्ध नहीं होता है कि विवादित आराजी का अकृषि उपयोग हो रहा है । प्रकरण में वर्तमान स्तर पर अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र